मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर, 1999 (अग्रहायण 5, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन सम्बंधी उल्लेख :-

(1) श्री रामचन्द्र बाजपेयी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, एवं

(2) श्री लाखन सिंह सोलंकी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 44 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, जल संसाधन मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99 मध्यम-इकतीस, दिनांक 18 अक्टूबर, 1999, तथा

(ख) मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 के नियम 36 के परन्तुक के साथ पठित मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग का आदेश क्रमांक सी आर-9/92/म/31/953 भोपाल, दिनांक 8 जून, 1999,

पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री जयंत कुमार मलैया, भूपेन्द्र सिंह, गणेशराम खटीक, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम बटियागढ़ में सरपंच की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री चैनसिंह सामले, सदस्य, मालखरौदा क्षेत्र में राहत कार्य न खोले जाने से मजदूरों का पलायन होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) ठाकुर सोबरन सिंह, सदस्य, जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, भूपेन्द्र सिंह तथा श्रीमती श्यामा ध्रुवा, सदस्य, दंतेवाड़ा जिले में स्थित आदिवासी कन्या आश्रम में छात्रा के साथ दुष्कृत्य किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री सुनील नायक, पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में केरोसिन उपलब्ध न होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री जुगुलकिशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले की नागौद कृषि उपज मंडी में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, महासमुन्द एवं कसडोल के जंगलों में अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा जिले के लोतलोता गांव में स्थित विद्युत मंडल के राखड़ बांध द्वारा जल प्रदूषण किये जाने की ओर आवास और पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, जबलपुर जिले में स्थित बरगी बांध में मत्स्य पालन का ठेका विस्थापित मत्स्योद्योग तथा विपणन संघ को देने से उत्पन्न स्थिति की ओर मछलीपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, बिलासपुर जिले के कोटा एवं लोरमी क्षेत्र के वन ग्रामों के आदिवासियों को रोजगार न मिलने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मण सिंह गौड़, कमल पटेल, सदस्य, इन्दौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शिवपुरी जिले के कालामढ़ पंचायत के अन्तर्गत अवैध पट्टे दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, सागर उत्तर वन मंडल के अन्तर्गत बहरोल वन क्षेत्र में उत्खनन कार्य में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, रायपुर स्थित देवभोग हीरा खदान से हीरे की चोरी होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मण सिंह गौड़, रामपाल सिंह, सदस्य, भोपाल शहर की जल प्रदाय योजना हेतु निगम को ऋण स्वीकृत न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-